

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़,
सहारनपुर, कन्नौज, जालौन, बांदा, बदायूं, अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद,
शाहजहांपुर, लखनऊ, इटावा, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर,
उन्नाव, मथुरा, हापुड़, वाराणसी, मुरादाबाद एवं गाजियाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2020

विषय:- नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु जनपदों में स्थापित मेडिकल कालेजों में आवश्यक उपकरणों/ कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने के लिये धनावंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 एवं पत्र संख्या-200/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 22.04.2020 तथा पत्र संख्या-232/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 18.05.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा उक्त जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज/मेडिकल संस्थान/प्राइवेट मेडिकल कालेजों में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव व प्रबन्धन हेतु आवश्यक मेडिकल उपकरण/कन्ज्यूमेबल आदि क्रय करने किये जाने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" से **रु० 29,50,00,000/- (रुपये उन्तीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गयी है।**

2- उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि के संबंध में सचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1764/71-2-2020-698/2020 टी.सी.-7 दिनांक 18.06.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण/सूचना/प्रस्ताव का परीक्षण किया गया तथा जनपदों को धनराशि की आवश्यकता का आंकलन करने पर यह पाया गया कि उक्त जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज/मेडिकल संस्थान/प्राइवेट मेडिकल कालेजों हेतु आवंटित की गयी धनराशि के पुनरीक्षित आवंटन किये जाने की आवश्यकता है।

3- अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन के पत्र संख्या-168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 एवं पत्र संख्या-200/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 22.04.2020 तथा पत्र संख्या-232/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 18.05.2020 द्वारा राजकीय

मेडिकल कालेज/मेडिकल संस्थान/प्राइवेट मेडिकल कालेजों हेतु जनपदों को आवंटित की गयी उक्त धनराशि को सचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 18.06.2020 में किये गये प्रस्तावानुसार राजकीय मेडिकल कालेज/मेडिकल संस्थाएँ/प्राइवेट मेडिकल कालेजों हेतु जनपदों को निम्नानुसार पुनरीक्षित आवंटन किया जाता है:-

जनपद का नाम		स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	(धनराशि लाख रुपये में) पुनरीक्षित आवंटन
1	मेरठ	250.00	196.00	350.00
2	प्रयागराज	200.00	116.37	200.00
3	झांसी	200.00	97.62	200.00
4	कानपुर नगर	250.00	63.83	290.00
5	आगरा	200.00	175.32	290.00
6	गोरखपुर	200.00	166.37	200.00
7	शाहजहाँपुर	100.00	00.00	50.00
8	लखनऊ	250.00	08.60	240.00
9	सहारनपुर	50.00	08.32	50.00
10	उन्नाव	50.00	00.00	30.00
11	मथुरा	50.00	00.00	50.00
12	कन्नौज	50.00	00.00	50.00
13	बदायूं	50.00	33.78	40.00
14	गाजियाबाद	50.00	00.00	50.00
15	सीतापुर	50.00	00.00	00.00
16	आजमगढ़	50.00	08.32	50.00
17	बाराबंकी	50.00	00.00	10.00
18	बरेली	50.00	00.00	20.00
19	बांदा	50.00	39.47	50.00
20	अयोध्या	50.00	34.15	50.00
21	जालौन	50.00	50.00	50.00
22	बस्ती	50.00	49.00	50.00
23	हापुड़	50.00	00.00	50.00
24	वाराणसी	50.00	00.00	00.00
25	फिरोजाबाद	100.00	43.88	80.00
26	गौतमबुद्ध नगर	150.00	78.84	200.00
27	अम्बेडकरनगर	50.00	39.37	40.00
28	बहराइच	50.00	49.94	50.00
29	मुजफ्फरनगर	50.00	00.00	50.00
30	मुरादाबाद	50.00	00.00	60.00
31	इटवा	50.00	50.00	50.00
		2950.00	1309.18	2950.00

4- उपरोक्तानुसार प्रस्तर-3 के कालम-5 के अनुसार पुनरीक्षित आवंटन के अनुसार कुल ₹0 2950 लाख की धनराशि जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखी जाती है।

5- यदि भविष्य में जनपदों को उक्त कार्यो हेतु धनराशि के आवश्यकता पड़ती है तो उनके द्वारा औचित्यपूर्ण तथ्यात्मक प्रस्ताव/मॉग शासन को प्रस्तुत किया जयेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त यथोचित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

6- उक्त पुनरीक्षित धनावंटन के सम्बन्ध में पत्र संख्या-168/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 01.04.2020 एवं पत्र संख्या-200/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, दिनांक 22.04.2020 मे उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीया,

/

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-304(1) एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(संजय गोयल)
सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-25/06/2020

प्रेषण संख्या:- 304
आवंटन आदेश संख्या:- 054-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 45000000	10000000 45000000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	9000000 39000000	9000000 39000000
3	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 16000000	1000000 16000000
4	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 39000000	4000000 39000000
5	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 30000000	5000000 30000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	29000000 169000000	29000000 169000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ नब्बे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ नब्बे लाख

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन